राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/2019/3377 दिनांकः– 4/4/19

:: आदेश ::

श्री भागीरथ राम, तहसीलदार बागोडा जिला जालोर का स्थानान्तरण /पदस्थापन मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 2531 दिनांक 07.03.2019 के द्वारा तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही के पद पर किया गया था। जिसके विरूद्ध इनके द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 4128/2019 दायर की गई । जिसमें मा. न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15.3.19 पारित करते हुए श्री भागीरथ राम के सम्बंध में मण्डल के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.03.19 एवं जिला कलक्टर कार्यालय जालोर के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.03.19 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 15.03.2019 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 07.03.2019 के द्वारा श्री भागीरथ राम, तहसीलदार बागोडा का तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन मा. न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर यथावत तहसीलदार बागोडा जिला सिरोही के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

आदेशानुसार

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

क्रमांकः सम/3378-88 दिनांकः– 4/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जालोर/सिरोही।
5. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
6. सम्बंधित श्री भागीरथ राम तहसीलदार बागोडा जिला जालोर।
7. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/8/रातस/2019/ 3474 दिनांकः– 04/5/19

:: आदेश ::

श्री गुलाब सिंह, नायब तहसीलदार अर्थुना जिला बांसवाडा का स्थानान्तरण /पदस्थापन मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1914 दिनांक 02.03.2019 के द्वारा नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर के पद पर किया गया था। जिसके विरूद्ध इनके द्वारा मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ जोधपुर में अपील संख्या 89/2019 दायर की गई । जिसमें मा. न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.3.19 पारित करते हुए श्री गुलाब सिंह के सम्बंध में मण्डल के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 2.3.19 के क्रियान्वयन को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2019 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 02.03.2019 के द्वारा श्री गुलाब सिंह, नायब तहसीलदार अर्थुना जिला बांसवाडा का नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन मा. न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर यथावत नायब तहसीलदार अर्थुना जिला बांसवाडा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

उक्त के परिणामस्वरूप मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प–2/1/7/रातस/निर्वा/2019/3117 दिनांक 26.03.2019 के द्वारा श्री डालचंद मेघवाल नायब तहसीलदार आनन्दपुरी का नायब तहसीलदार अर्थुना के पद पर किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर इनको यथावत नायब तहसीलदार आनन्दपुरी जिला बांसवाडा के पद पर पदस्थापित रखा जाता है।

आदेशानुसार

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

क्रमांकः सम/ 3475–86 दिनांकः– 04/05/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, बांसवाडा।
5. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
6. तहसीलदार गढी/आनन्दपुरी जिला बांसवाडा।
7. श्री गुलाब सिंह नायब तहसीलदार अर्थुना जिला बांसवाडा।
8. श्री डालचंद मेघवाल नायब तहसीलदार आनन्दपुरी जिला बांसवाडा।
9. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/2019/3389–3400 दिनांकः– 4/4/19

:: आदेश ::

श्री किशन लाल, तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद का स्थानान्तरण /पदस्थापन मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1330 दिनांक 26.02.2019 के द्वारा तहसीलदार अरनोद जिला प्रतापगढ़ एवं आदेश क्रमांक 1729 दिनांक 02.03.19 के द्वारा स्थानान्तरणाधीन तहसीलदार अरनोद से तहसीलदार कुम्भलगढ़ जिला राजसमंद के पद पर किया गया था। जिसके विरूद्ध इनके द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 3394/2019 दायर की गई । जिसमें मा. न्यायालय जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 08.3.19 पारित करते हुए श्री किशन लाल के सम्बंध में मण्डल के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.02.19 एवं 02.03.19 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 08.03.2019 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 26.02.19 एवं 02.03.2019 के द्वारा श्री किशन लाल तहसीलदार आमेट के क्रमशः तहसीलदार अरनोद एवं तहसीलदार कुम्भलगढ़ के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन मा. न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर यथावत तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

आदेशानुसार

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

क्रमांकः सम/3390–3400 दिनांकः– 4/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, राजसमंद/प्रतापगढ़।
5. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
6. सम्बंधित श्री किशन लाल तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद।
7. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज. अजमेर